

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 42/2020

निर्णय दिनांक — 14.07.2020

1. रवि पिता नन्दकिशोर ओझा, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. उदयलाल पिता भैरूलाल तेली, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
3. श्रीमती किरण जोशी पत्नी कमलेश कुमार जोशी, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।  
— प्रार्थीगण

// बनाम //

1. भोजराज पिता घीसूलाल शर्मा, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी।
2. चांदमल शर्मा पिता मांगीलाल शर्मा, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी।
3. बद्रीलाल पिता नामालुम ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बोराखेड़ी।
4. ललित शारदा पिता नामालुम ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।  
— विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बोराखेड़ी की खाता संख्या 12 की आराजी नं. 1145/621 रकबा 0.2500 हैक्टेयर व 621 रकबा 1.2700 हैक्टेयर भूमि स्थित है। पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि वाके मौजा बोराखेड़ी की खाता संख्या 12 की आराजी नं. 1145/621 रकबा 0.2500 हैक्टेयर व 621 रकबा 1.2700 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। वर्षा के कारण पत्थरगढ़ी सम्भव नहीं होने पर पालना स्थगित की जावे अन्यथा पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 14.07.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा

